छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 04/07/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़।

विषय :— जन्म उपरांत शिशु का जाति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।

वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा **छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013** एवं उसके तहत बनाए गए छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अनुसार जारी किए जा रहे हैं।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त जाति/वर्ग के व्यक्तियों के परिवार में शिशु के जन्म के उपरांत उसके पिता की जाति के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाए।

3/ उक्त निर्णय के अनुपालन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते हैं:—

(1) जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शिशु के पिता की जाति के संबंध में वर्ष 2006 के उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाए। वर्ष 2006 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र के समुचित सत्यापन उपरांत उसके आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाये।

(2) शिशु के जन्म के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति, पिता के जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति की जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाए।

(3) शिशु की जाति प्रमाण पत्र हेतु उसके पिता/माता/वैध पालक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाए। आवेदन का प्रारूप संलग्न है।

(4) पिता की जाति के आधार पर शिशु का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

3/ शिशु को जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र में अंकित उसके नाम परिवर्तन की स्थिति में प्रचलित प्रकिया अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

4/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(डॉ.कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः..2

पृ.क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, अटल नगर, रायपुर, दिनांक 04/07/2019

प्रतिलिपि:–

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर।
4. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
5. समस्त विशेष सहायक/निज सहायक मान. मंत्रीगण मंत्रालय, अटल नगर रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
7. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर, छ.ग.।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
10. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
12. सचिव, समस्त आयोग/निगम/मंडल, छत्तीसगढ़।
13. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
16. संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
17. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.gad.cg.gov.in/gad** में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग